

कार्यालय निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०, लखनऊ।
संख्या-4डी(1)/मू०आ०/क००३०/१६/२०२३/ लागड़: दिनांक: ०६/११/२०२३

लाखवाकः दिनांकः ०६ / ११ / २०२३

// कार्यालय ज्ञाप //

स्व० प्रीटीप कुमार राजपूत, फामरिस्ट, प्रायगिक स्वास्थ्य केन्द्र, कौहनिया (क्षेत्र पनवाड़ी), अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, महोबा की मृत्यु दिनांक 30.11.2020 को सेवाकाल में हो जाने के फलस्वरूप उनके आश्रित पुत्र श्री गौरव राजपूत की वियुक्ति मृतक आश्रित के रूप में मृतक आश्रितों की भर्ती सेवा-नियमावली 1974, यथा संशोधित अधिनियम, 30प्र० शासन, चिकित्सा अबुभाग-4 के पत्रावली सं-0-5-4099/901/2022-4-1/368647/2023, दिनांक 14.08.2023 के क्रम में एवं कार्मिक अबुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-6/12/73-का-2-2022/ठी०री०-VI (II), दिनांक 27.12.2022, द्वारा प्रारूपित “उत्तर प्रदेश सेवाकाल में नृत सरकारी सेवकों के आश्रित की भर्ती तिहरावं संशोधन) नियमावली 2022” में निहित प्राविधान के अन्तर्गत विदेशक (पिरामेडिकल), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, 30प्र०, लखनऊ के अग्रसारण पत्र संख्या-4डी(2)/म०३०१०वियु०/२०२३/१६२२, दिनांक 17.10.2023 के साथ प्राप्त नियंत्रक अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, महोबा की संस्तुति पत्र संख्या-म००पि०३०/म०३०१०/२०२३-२४/२०८८, दिनांक 30.08.2023 एवं उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों को दृष्टिगत रखते हुए कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, महोबा में रिक्त कविष्ठ सहायक के पद पर वेतन घैण्ड रु० 5200-2020 एवं घैण्ड वेतन रु०-2000/- (घुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-3) में समय-समय पर जारी शासनादेशों में अनुमत्य महंगाई भल्ता व अन्य भल्तों सहित अस्थायी रूप में “उत्तर प्रदेश, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (अधीनस्थ कार्यालय) लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली-1994” के अंतर्गत अधोलिखित शर्तों के अधीन वियुक्ति प्रदान की जाती है-

- यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है और विना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। यह नियुक्ति आदेश जारी होने के एक माह तक वैध होगा तत्पश्चात् स्वतः नियरस्त समझा जायेगा।
 - उपर पद पर इन्हें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों में अनुग्रह्य महंगाई भत्ता व अन्य भत्ते देय होंगे।
 - यह नियुक्ति योगदान की तिथि से मान्य होगी तथा इस पद पर योगदान हेतु इन्हें कोई यात्रा भत्ता देय वर्हा होगा।
 - योगदान करते समय मूल अभिलेखों के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी, महोदा के समक्ष निम्नलिखित अभिलेख को प्रस्तुत करना होगा :-
 (क) हाईरकूल/इण्टरमीडिएट व अन्य शैक्षिक योग्यता के उत्तीर्ण अंक पत्र/प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियां।
 (ख) अन्तिम शिक्षा जहां से प्राप्त की हो वहाँ के प्रधानाचार्य द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र।
 (ग) दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, जो आपको भली-भांति जानते हों किन्तु सम्बद्धी न हों।
 (घ) मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थ्यता प्रमाण पत्र।
 (इ) संविधान के प्रति सत्यनिष्ठा का प्रमाण पत्र।
 (ब) अविवाहित होने का प्रमाण पत्र, यदि विवाहित हो तो एक जीवित पत्नी का घोषणा पत्र।
 - यह नियुक्ति 30प्र० ३०से काल में मृत सरकारी सेवकों की भर्ती (तिहरां संशोधन) नियमावली-2022, कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-6/12/73-का-2-2022/टी०सी०-VI (II), दिनांक 27.12.2022 में निहित शर्तों के अधीन कम्प्यूटर प्रचालन और टंकण अनिवार्य अर्हता के रूप में निहित की गयी है और मृत सरकारी सेवक का आश्रित कम्प्यूटर प्रचालन और टंकण में अपेक्षित प्रवीणता नहीं रखता है, तो उसे इस शर्त के अधीन रहते हुए नियुक्ति कर लिया जायेगा कि वह एक वर्ष के भीतर ही कम्प्यूटर प्रचालन में डी०ओ०५००१०सी० सोसासटी द्वारा प्रदत्त सी०सी०सी० प्रमाण पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी प्रमाण पत्र के साथ-साथ टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति अर्जित कर लेगा, और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसकी सामान्य वार्षिक वेतन-वृद्धि रोक ली जायेगी, और कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित गति अर्जित करने के लिए उसे एक वर्ष की अपेक्षित अवधि प्रदान की जायेगी, और यदि बद्धयी गई अवधि में भी वह कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित गति अर्जित करने में विफल रहता है, तो उसे चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति प्रदान करने का आदेश जारी किया जाएगा। इस प्रकार प्रदान की गई नियुक्ति प्रतिवर्ती न होकर नई नियुक्ति समझी जाएगी। यदि वह नियत समय के भीतर चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसकी सेवाओं समाप्त कर दी जायेगी।
 - यह नियुक्ति इस प्रतिबन्ध के साथ दी जाती है कि श्री गौरव सजपूत पुत्र स्व० प्रदीप कुमार सजपूत, फार्मसिटर, प्रायोगिक स्वास्थ्य केन्द्र, कौहलिया (सेत्र पब्लिकी), अधीज मुख्य चिकित्सा अधिकारी, महोदा

- अपने परिवार के अन्य आश्रितों का भरण-पोषण एवं समुचित देखभाल करते रहेंगे। ऐसा ज करने की दशा में इनकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।
7. मृतक कर्मचारी, पति-पत्नी दोनों केवलीय राकार/राज्य सरकार अथवा उनके अधीन निगम सेवाओं में कार्यरत नहीं हैं, कार्यरत की दशा में यह सेवायोजन विष्णुभारी माना जायेगा।
 8. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि मृतक के परिवार के किसी अन्य सदस्य को मृतक आश्रित का लाभ पूर्ण में इस विभाग व अन्य विभाग में तो नहीं दिया गया है।
 9. मृत्यु/उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र को मूल प्रमाण पत्रों से सत्यापन कर लिया जायें कि वे सक्षम अधिकारी द्वारा ही विर्गत किये गये हैं। साथ ही साथ वांछित/अनिवार्य शैक्षिक प्रमाण-पत्रों का सत्यापन/पुष्टि करा ली जाये।
 10. कर्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 27.12.2022, में निहित व्यवस्थानुसार एक वर्ष के भीतर श्री गौरव राजपूत की हिन्दी कम्प्यूटर टंकण की परीक्षा का आयोजन माह सितम्बर 2024 के अंतिम कार्यदिवस में महाजिदेशालय स्तर पर गणित समिति के समक्ष अनुदेशक/विषय विशेषज्ञ, राजकीय औद्योगिक संस्थान की देख-रेख में सम्पन्न किया जाना है। उक्त परीक्षा जनपद स्तर पर कदापि आयोजित नहीं की जायेगी, परीक्षा हेतु आदेश पृथक से विर्गत किये जायेंगे, जिस हेतु वियंग्रक अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से रुचि लेते हुए टंकण परीक्षा की तिथि सम्बन्धित कर्मचारी को अवगत करायी जायेगी।
 11. स्थानीय पुलिस के माध्यम से सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन करा लिया जाये।
 12. यह वियुक्त पत्र जनपद/मण्डल स्तर के सक्षम अधिकारी के प्रमाणित एवं अग्रसारित अभिलेखों के आधार पर जारी किया जा रहा है। यदि भविष्य में श्री गौरव राजपूत द्वारा उपलब्ध कराये गए अभिलेख संदिग्ध/कर्जी/विचलन पाये जाते हैं तो उनकी सेवायें खत: समाप्त हो जायेंगी, इसकी जिम्मेदारी अग्रसारण अधिकारी की होगी तथा असत्य प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में वियमानुसार श्री गौरव राजपूत के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

(डा० राजागणपति आर०)

आई०ए०एस०

निदेशक (प्रशासन)

संख्या-४डी(१)/मृ०आ०/क०स०/१५/२०२३/ ५९५९-६९ तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) ३०प्र० प्रयागराज।
2. विशेष सचिव, ३०प्र० शासन विकित्सा अनुभाग-४
3. वित्त वियंग्रक, विकित्सा एवं स्वास्थ्य, ३०प्र०।
4. निदेशक (विकित्सा उपचार), खास्त्र भवन, लखनऊ को विभागीय बैवसाइट पर अपलोड हेतु।
5. अपर निदेशक, विकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चित्रकूट मण्डल, चित्रकूट।
6. संयुक्त निदेशक, (मुख्यालय परिधिगत), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को निर्देशित किया जाता है कि उक्त तिथि में वियमानुसार परीक्षा का आयोजन अवश्य कराना सुनिश्चित करें।
7. मुख्य विकित्सा अधिकारी, महोवा को अनुपालनार्थ एवं इस विरेश के साथ कि विन्दु संख्या-०४, ०६, ०७, ०८, ०९ एवं ११ पर वांछित अभिलेख/आख्या समय-समय पर पूर्ण होने की स्थिति में उसकी एक-एक प्रतिहस्ताक्षरित प्रति विशेष पत्रवाहक के माध्यम से महाजिदेशालय की मूल पत्रावली में रखित करायें।
8. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी महोवा।
9. श्री गौरव राजपूत पुत्र ख० २० प्रदीप कुगार राजपूत, फार्मासिस्ट, प्राथमिक स्वास्थ्य केब्ड, कौहिया (झेब्र पवारी), अधीन मुख्य विकित्सा अधिकारी, महोवा विवासी-७२९ भीखमपुर, नई ढास्ती, औरेया। (पंजीकृत हाक द्वारा)
10. पुलिस अधीकारी/पुलिस कंपिश्यरेट, महोवा को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराकर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
11. गार्ड फ्रैंडल।

(डा० रजना शर्मा)

अपर निदेशक (मुख्यालय परिधिगत)